FEE STRUCTURE FOR ACADEMIC SESSION 2025-26

ADMISSION FORM FOR CLASS NURSERY TO XII - RS. 200/-

Term	NUR. TO UKG	I TO V	VI TO VIII	IX & X	XI & XII
Admission Fee	₹2000	₹2000	₹2000	₹2000	₹2000
I-Installment	₹3000	₹3375	₹4250	₹4875	₹5375
II-Installment	₹3000	₹3375	₹4250	₹4875	₹5375
III-Installment	₹3000	₹3375	₹4250	₹4875	₹5375
IV-Installment	₹3000	₹3375	₹4250	₹4875	₹5375
Total	₹14000	₹15500	₹19000	₹21500	₹23500

नोट : - प्रवेश शुल्क केवल नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए देय रहेगा।

XI CLASS ACADEMIC STREAMS

Science	Commerce	Humanities	Optional Subjects
English	English	English	Informatics Practices
Hindi	Hindi	Hindi	Mathematics/
Physics	Accountancy	History	Biology
Chemistry	Business Studies	Political Science	Economics
Mathematics /	Economics /	Economics / P.E.	Physical Education
Biology / P.E.	Mathematics/ I.P./ P.E.		

उपलब्ध सुविधाएँ

- अनुभवी और योग्य, व्यवहारिक ज्ञान से परिपूर्ण और ट्रेण्ड शिक्षकगण।
- व्यक्तित्व विकास की विशेष कक्षाएँ, संचालक महोदय एवं विशेषज्ञों के द्वारा कार्यशाला का आयोजन एवं कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान।
- अन्तर विद्यालयीन प्रतियोगिताएँ, सभ्यता एवं संस्कृति से भरे त्यौहारों का समय-समय पर आयोजन।
- नैतिक मूल्यों से ओत-प्रोत शिक्षा (नैतिक शिक्षा) एवं प्रत्येक छात्र के चहुंमुखी विकास पर विशेष ध्यान।
- नियमित अन्तराल पर मेडिकल जाँच सुविधा।
- समय-समय पर छात्रों के लिए परामर्श सत्र।
- सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त कक्षाएँ।
- अच्छी तरह से सुसज्जित लैब्स-साइंस लैब्स, मैथ्स लैब, आईसीटी लैब्स, रोबोटिक्स लैब, लैंग्वेज लैब और लाइब्रेरी।
- सभागार, स्काउट और गाइड • स्कूल ऐप. • डिजिटल आईडी कार्ड
- आर.ओ. वाटर स्टेशन।
- वॉलीबॉल और हैंडबॉल कोर्ट, कबड्डी, खो-खो और क्रिकेट मैदान, इनडोर गतिविधि क्षेत्र, वेस्टर्न और क्लासिकल डांस, वोकल एवं इंस्ट्रुमेंटल म्यूजिक, किड्स जोन।
- पूरा परिसर और वाहन सीसीटीवी निगरानी में
- जीपीएस ट्रैकर्स के साथ स्कूल बसें - स्कूल ऐप के माध्यम से लाइव ट्रैकिंग। स्पीड गवर्नर • सीसीटीवी निगरानी • प्राथमिक चिकित्सा किट • अग्निशामक यंत्र और महिला कंडक्टर।

GARIMA GROUP INDORE

SHREE GARIMA VIDYA MANDIR HIGHER SECONDARY SCHOOL
32/15 Kila Road, Indore (M.P.)
Mob. : 62695 95952 I 97539 13713 I 96177 04647
Website: www.shreegarimavidyamandir.com

GARIMA VIDYA VIHAR SENIOR SECONDARY SCHOOL
Airport Road, Opposite Bijasan Mata Mandir, Indore (M.P.)
Mob. : 70494 94919 I 90096 00032
Website: www.garimaschool.com

THE LITTLE GARIMAYANS A PLAY SCHOOL
Airport Road, Opposite Bijasan Mata Mandir, Indore (M.P.)
Mob. : 70494 94919 I 90096 00032
Email : garimayans@gmail.com

CHECK-OUT OUR SCHOOL TOUR ON SOCIAL MEDIA HANDLES

/shreegarimavidyamandir | /shreegarimavidyamandirschool | /ShriGarimaVidya
www.shreegarimavidyamandir.com | shreegarimavidyamandir@gmail.com | /@shreegarimavidyamandir2014

Back

DISE CODE 23260101924   MP Board Affiliation No. 532490

SHREE GARIMA VIDYA MANDIR
• HIGHER SECONDARY SCHOOL •

32/15 Kila Road, Indore (M.P.)

Education Through Active Learning

ADMISSIONS OPEN FOR SESSION 2025-26

CLASS NURSERY TO XII

ENGLISH MEDIUM

37 YEARS EXCELLENCE IN EDUCATIONAL FIELD

SUNDAYS OPEN
09:00 AM - 03:00 PM

SGVM SCHOOL TOUR

62695 95952 I 97539 13713 I 96177 04647   32/15 Kila Road, Indore (M.P.)

Front

Size: 8.5(w) x 11(h) Inch

D.No. SGVM/1458/25

SHREE GARIMA VIDYA MANDIR
HIGHER SECONDARY SCHOOL

32/15 Kila Road, Indore (M.P.)

संस्कार और संस्कृति का गहरा संबंध है जो संस्कार के बिना ही संस्कृति को जीवित रखना चाहता है या आगे बढ़ना चाहता है, वह ऐसा है जैसे पानी के बिना बाग को सलामत रखना। जिस प्रकार पानी से ही हरियाली रहकर बाग फला फूला रहता है उसी प्रकार व्यक्ति चाहे जितने अंक ले आए या उच्च पद पर आसीन हो जावे और उसमें संस्कार न हो तो वह समाज में तरक्की नहीं कर सकता। विद्यार्थी का शिष्टाचारी होना अति आवश्यक है। यदि उसमें संस्कृति का ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, अपनी प्रथा और समाज की सेवा के गुण होंगे, तो वह अपना व समाज दोनों का कल्याण कर सकता है। हम विद्यालयीन परिवार शिक्षा के साथ सर्वगुण संपन्नता का पाठ भी पढाते है जिससे विद्यार्थी की परिवार, समाज, देश एवं उनके द्वारा पाए गए उच्च पद की गरिमा बनी रहे। यदि हम अपने पुत्र / पुत्री से ऐसी शिक्षा की उम्मीद करते है तो हमें व आपको निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा-

- विद्यालय का नवीन शिक्षा सत्र 1 अप्रैल 2025 मंगलवार से प्रारंभ होगा। प्रातःकालीन शिफ्ट प्रातः 07 से 12:00 एवं दोपहरकालीन 12:30 से 5 बजे तक रहेगी। इस समय में परिवर्तन होने पर सूचना पटल पर सूचना अंकित की जावेगी।
- 1 मई 2025 से 16 जून 2025 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। 17 जून 2025 मंगलवार से पुनः विद्यालय प्रारंभ होगा। यदि शासन का इससे पूर्व आदेश प्राप्त होता है तो उनके बताए अनुसार अवकाश घोषित होगा।
- विद्यार्थी को विद्यालयीन समय का पालन करना अनिवार्य है अन्यथा समझाईश पश्चात् हम उसे प्रवेश देने में असमर्थ रहेंगे।
- विद्यार्थियों का विद्यालय में मोबाईल लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
- अपने बच्चों को व्यवस्थित निर्धारित स्वच्छ धुली हुई गणवेश में नियमित विद्यालय भेजें। फेशनेबल ड्रेस जैसे नैरोबॉटम, लोवेस्ट, स्कर्ट, पेन्ट, आस्तीन को फोल्ड करना इस प्रकार की युनिफार्म पूर्णतः प्रतिबंधित है। समझाईश के बाद भी न मानने पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- विद्यालयीन कक्ष या परिसर में जन्मदिन मनाना, किसी तरह की पार्टी करना, केक कोल्ड्रींक्स लाना, शिक्षक शिक्षिकाओं या अन्य विद्यार्थियों के लिए उपहार लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
- पालक विद्यार्थी को हल्का नाश्ता करवाकर विद्यालय भेजे, लंचबॉक्स में पौष्टिक आहार, हरी सब्जियों, अंकुरित अनाज देवे। सप्ताह में एक दिन उनकी मनपसंद का भोजन देवें। अचार, सेंव, सॉस इत्यादि न देवे।
- भोजन मानव शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए अति आवश्यक है। हमें कण-कण की उपयोगिता को समझना होगा। अतः लंचबॉक्स में विद्यार्थी के खाने की क्षमता के अनुसार ही भोजन रखें। जिससे अन्न का अपमान न हो व बच्चे भोजन का आदर करना सीखें।
- विद्यार्थी को किसी भी तरह का कीमती सामान जेवर इत्यादि न पहनावें, गुम होने पर विद्यालय उत्तरदायी नहीं रहेगा। विद्यार्थी का बेग प्रतिदिन चेक करे। उसे किसी भी प्रकार के नुकीले, धारदार व ऐसी वस्तु जिससे किसी ओर को व स्वयं को नुकसान पहुँचता है ऐसा सामान न देवे। संभव हो तो बेग में एक अतिरिक्त रुमाल अवश्य रखे। ज्यामिति बॉक्स विषय शिक्षक के द्वारा बताए जाने पर ही साथ में देवें। बच्चा अन्य दिनों में राउण्डर इत्यादि न लावें।
- जो विद्यार्थी कक्षा 10वी उत्तीर्ण करके कक्षा 11वी में विषय चयन करते है, उन विद्यार्थियों का कक्षा 12वी में विषय एवं माध्यम परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- विद्यार्थी को होमवर्क डायरी में दी गई व्यक्तिगत जानकारी अनिवार्य रुप से भरें। यदि आपका फोन नं. व पता बदल गया हो तो इसकी जानकारी कार्यालय में अवश्य देवें। प्रातःकालीन विद्यार्थी की पढाई संबंधी जानकारी के लिए दोपहर 12 से 1 बजे तक मिलने आयें।
- विद्यार्थी की कक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य है ऐसा न होने पर वह नियमित परीक्षा से वंचित रह सकता है। अवकाश लेने पर आवेदन अवश्य देवें। यदि वह बीमार हो तो मेडिकल अवश्य देवें तथा यदि विद्यार्थी लगातार अनुपस्थित रहने के पश्चात् विद्यालय आता है तो अनुपस्थिति का कारण दर्शाते हुए आवेदन करें।
- अपने बच्चों को समझाएँ कि अपने अन्य साथी विद्यार्थियों को शारीरिक एवं मानसिक प्रताडना देना, अपशब्दों का प्रयोग करना, रंग, कद, काठी, जाति आदि को लेकर कमेंट करना रेगिंग की श्रेणी में आता है यह न करें, ऐसा किये जाने पर कानूनी कार्यवाही संभव है।
- विद्यालय की सभी वस्तुएँ, बच्चों की सुविधा, उनके सर्वांगीण विकास एवं मनोरंजन के लिए है। उनको नुकसान न पहुँचाए और न ही किसी को पहुँचाने देवें। ऐसा किये जाने पर उस नुकसान की भरपाई का दायित्व आपका रहेगा।
- विनम्रता विद्यार्थी का गहना है, ऐसी सीख देते हुए विद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी एवं साथी विद्यार्थी से विनम्र भाव से बात करें।
- एक बार विद्यालय आने के पश्चात किसी भी विद्यार्थी को अर्द्ध अवकाश नहीं दिया जावेगा, यदि अर्द्ध अवकाश आवश्यक है तो पालक स्वयं लेने आए। फोन करने पर हम अवकाश देने में असमर्थ रहेंगे। किसी अपरिचित के साथ भी हम नहीं भेज पाएँगे। यदि विद्यार्थी को अवकाश, अर्द्धवकाश की आवश्यकता है तो माता पिता स्वयं आवेदन देवे तथा विद्यालय आते समय परिचय पत्र साथ में लावें।
- यदि आप अपने अध्ययनरत् बच्चे का दाखिला (टी.सी.) चाहते है तो 30 जून के पूर्व आवेदन कार्यालय में जमा कराएँ व 5 दिन पश्चात् विद्यार्थी का शुल्क कार्ड साथ में लाकर दाखिला ले जावें जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से हस्ताक्षर करवाने वाले दाखिले के लिए 8 से 15 दिन लग सकते है। 1 जुलाई के पश्चात् जिस माह में दाखिला ले जावेंगे उस माह तक का शुल्क देय रहेगा। दाखिले की प्रथम प्रति निःशुल्क प्रदान की जावेगी। दाखिला लेने वाले पालक दाखिले के लिए एक आवेदन एवं शुल्क कार्ड साथ लेकर आवें। दाखिला लेने से पूर्व पिछला शुल्क जमा किया जाना अनिवार्य है।
- कक्षा 11वी में प्रवेश के लिए स्थायी एवं अस्थायी रूप से पुनः फार्म भरा जाना आवश्यक है। चूंकि विद्यार्थी को विषय का चयन करना होता है, यदि 10वीं में पूरक प्राप्त हो तो भी प्रोव्हिजनल प्रवेश लेना आवश्यक है। 5 जुलाई तक माध्यमिक शिक्षा मंडल को ऑनलाईन सूची भेजना अनिवार्य रहता है यदि समय पर प्रवेश नहीं लिया तो उसके लिए विद्यालय उत्तरदायी नहीं रहेगा। अतः उपरोक्त तिथि के पश्चात् प्रवेश संभव नहीं है। विद्यार्थी की संपूर्ण जानकारी प्रवेश फॉर्म के साथ संलग्न दस्तावेजों के आधार पर भेजी जाएगी जिसमें किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा।
- कक्षा 5वी, 8वी, 9वी, 10वी एवं 12वीं कक्षाओं के परीक्षा फॉर्म एवं नामांकन के लिए पासपोर्ट साईज के तीन फोटो तथा विगत परीक्षा उत्तीर्ण की स्वहस्ताक्षरित अंकसूची 15 जुलाई तक कक्षा अध्यापिका के पास शुल्क के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है।
- नर्सरी से कक्षा 6'टी तक यदि विद्यार्थी विद्यालय अकेला आता जाता है तो पालक इस आशय का आवेदन देवें कि छुट्टी पश्चात् उसे अकेला छोड देवें।
- यदि विद्यार्थी सायकल से विद्यालय आता जाता है तो अपनी स्वयं की जवाबदारी पर सायकिल रखें। हमारे द्वारा कोई भी व्यक्ति इस कार्य के लिए अधिकृत नहीं है। अधिक दूरी से आने वाले विद्यार्थी ही साईकिल लावें। सायकिल गुम या चोरी हो जाने पर विद्यालय उत्तरदायी नहीं रहेगा। विद्यार्थी कोई भी वाहन जिसमें लाईसेंस की आवश्यकता हो न लावें।

  यदि कोई विद्यार्थी वाहन लेकर आता है, तो होने वाले नुकसान के लिए विद्यालय उत्तरदायी नहीं रहेगा। विगत वर्ष में देखा गया है, कि विद्यार्थी वाहन लाकर किसी के भी घर या दुकान के सामने रख देते है। अतः पालक इस ओर अवश्य ध्यान देवे।
- विद्यालय में स्थित प्रयोगशाला में विद्यार्थी शिक्षकों के निर्देशानुसार सावधानीपूर्वक प्रेक्टिकल करे। यदि लापरवाही से कोई घटना होती है तो इसके लिए विद्यालय उत्तरदायी नहीं रहेगा। प्रयोगशाला में प्रवेश के लिए एप्रिन आवश्यक है।
- कक्षा 5वी, 8वी, में राज्य शिक्षा द्वारा बोर्ड परीक्षा आयोजित होगी।
- विद्यालय परिसर में सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे है जिससे विद्यार्थियों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। आप भी विद्यालय के बाहर एवं घर पर उनकी गतिविधियों पर ध्यान देवें, साथ ही यह देखे कि वह कहाँ जाते है, किन दोस्तों से मिलते है?
- विद्यालय में होने वाली सभी परीक्षाएँ, प्रायोगिक परीक्षाएँ, प्री-बोर्ड एवं टेस्ट में विद्यार्थी को सम्मिलित होना अनिवार्य है। यह परीक्षाएँ दोबारा आयोजित नहीं की जा सकेगी। क्योंकि इसके अंक पोर्टल पर अपलोड किये जाते है।
- आपको अवगत करवाया जाता है कि विद्यालय में अध्ययनरत् आपके बच्चे यदि रिक्शा, वेन या अन्य किसी निजी वाहन से विद्यालय आते जाते है तो आप उनको अपने बच्चों को सौंपने से पूर्व यह निश्चित कर लेवें कि वे शासन द्वारा जारी गाईडलाईन एवं निर्देशों का पालन कर रहे है या नहीं, क्योंकि विद्यालय द्वारा कोई भी वाहन बच्चों को लाने ले जाने के लिए अधिकृत नहीं है और न ही किसी वाहन से विद्यालय का ऐसा कोई अनुबंध है। आपने स्वयं उनसे चर्चा करके इन वाहनों से बच्चों को विद्यालय भेजने का निर्णय लिया है। आपको यह जानकारी भी रखना चाहिए कि वाहन में आवश्यकता से अधिक बच्चें तो नहीं बैठे है, वाहन का रख रखाव ठीक है या नहीं, चालक का व्यवहार बच्चों के प्रति उचित है या नहीं। आपको अपने पास गाडी से संबंधित जानकारी एवं चालक का मोबाईल नं. अपने पास रखना चाहिए। आप उन्हें यह भी कहें कि विद्यालय के निर्धारित समय पर ही बच्चों को छोड़ें व ले जावें। इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है फिर भी बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम सभी वाहन चालकों को आवश्यक दिशा निर्देशों से अवगत करवाकर सुरक्षा संबंधी जानकारी उन्हें देते है। अतः आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान देते हुए विद्यालयीन व्यवस्था में सहयोग देवें। इस सूचना पश्चात् भविष्य में होने वाली किसी भी होनी अनहोनी दुर्घटना के लिए विद्यालय उत्तरदायी नहीं रहेगा।
- राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। जो विद्यार्थी उक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करना चाहते है वे ग्रीष्म अवकाश अवधि में स्थाई जाति तथा मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जिलाधीश कार्यालय से बनवाकर लाभ अर्जित कर सकते है। जिन विद्यार्थियों ने गतवर्ष छात्रवृत्ति प्राप्त की है वे पुनः आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। विस्तृत जानकारी सूचना पटल पर अंकित है। शासन के नियमानुसार बैंक में 1ली से 12वी, के विद्यार्थी के नाम का खाता खुलवाना आवश्यक है। बचत खाते को नियमित रखना अनिवार्य है, बंद होने के स्थिति में छात्रवृत्ति समायोजित नहीं होने पर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में समग्र आई.डी. नंबर, आधार कार्ड नंबर, बैंक बचत खाता नंबर एवं कोड स्पष्ट लिखें। त्रुटि होने पर छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं होगी। छात्रवृत्ति ऑनलाईन प्रकिया से स्वीकृत होती है, इस हेतु खाते को आधार नंबर से लिंक करवाना अनिवार्य है। लिंक नहीं होने की दशा में छात्रवृत्ति समायोजित नहीं होगी।
- कुछ विद्यार्थी विद्यालय आने से पूर्व व छुट्टी के पश्चात् सडकों व चौराहों पर समूह बनाकर न खडे रहें। क्योंकि सादी वर्दी में पुलिस गश्त करती रहती है, उनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिए विद्यालय उत्तरदायी नहीं रहेगा।
- विद्यालय द्वारा लिया जाने वाला शुल्क आप चार किश्तों में जमा कर सकते है। सुविधा न होने पर प्रतिमाह भी जमा कर सकते है। शुल्क जुलाई से अप्रैल, दस माह तक का ही लिया जाता है।
- यदि विद्यार्थी बस से आता जाता है तो उन्हें बताए कि शरीर का कोई भी अंग बस से बाहर न निकाले रोड पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति पर कमेन्ट न करें, पानी, रेपर, किसी भी प्रकार का कचरा न फेंके न ही थूकें और न ही बस ड्रायवर कंडक्टर से बहस करें। यदि कोई शिकायत है तो शांतिपूर्ण तरीके से बस प्रभारी या प्राचार्य से मिलकर हल करें।
- विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारी एवं शिक्षक शिक्षिकाओं व अन्य विद्यार्थी साथियों से नम्रतापूर्वक व्यवहार करें।
- यदि आपका पुत्र/पुत्री सहमा सहमा सा रहता / रहती है या उसे कोई समस्या है तो उसे अकेला न छोडते हुए शांति से उसकी समस्या सुने यदि विद्यालय से संबंधित कोई शिकायत है तो तुरंत विद्यालय आकर उसका समाधान करें और अन्य कही की समस्या हो तो यहाँ पर भी समझदारी से शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करें।
- विद्यालय द्वारा कोई भी पुस्तक एवं ड्रेस विक्रेता या निर्माता अधिकृत नहीं है आप स्वेच्छा से खुले बाजार में कहीं से भी कय करने के लिए स्वतंत्र है। पुस्तकों की सूची सूचना पटल पर अंकित है एवं विद्यालय की वेबसाईट पर भी उपलब्ध हैं लिस्ट अनुसार ही पुस्तकें लेवें दुकानदार द्वारा लिस्ट से अतिरिक्त पुस्तक देने से न लेवें। ड्रेस पर लगे मोनो के आधार पर यह निर्णय न ले कि कोई विकेता अधिकृत है। आप कपडे की क्वालिटी देखकर कहीं से भी खरीदे मोनो इंटरनेट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकता है। मोनो केवल युनिफॉर्म की शोभा बढाने के लिए किया जाता है।
- आप से लिए गए शुल्क में वर्षभर होने वाली समस्त शैक्षणिक उत्सव एवं खेल गतिविधियों परीक्षा टेस्ट आदि सम्मिलित रहते है। सांस्कृतिक कार्यकम किया जाना विद्यालय के बजट पर निर्भर है अनिवार्य नहीं।
- विद्यार्थी के नाम, जन्मतिथि, जाति, सरनेम आदि में यदि कोई संशोधन हो तो चेकलिस्ट एवं रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय सुधरवा देवें एक बार मण्डल को जानकारी को भेजे जाने पर संशोधन संभव नहीं होगा। विद्यालय द्वारा आपके द्वारा प्रवेश फॉर्म में दी गई जानकारी के आधार पर मण्डल को जानकारी भेजी जाती है।
- विद्यालय 1 अप्रैल 2025 से अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ होगा एवं प्रथम दिन से ही कक्षाओं में अध्यापन कार्य प्रारंभ हो जावेगा। अतः अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने को कहे कोर्स छूट जाने पर उसे पूर्ण करवाने की जवाबदारी आपकी रहेगी या छूटा हुआ कोर्स रिवीजन के समय ही पूर्ण हो पाएगा।

आवश्यक सूचना

- संपूर्ण शुल्क का भुगतान चार किश्तों में, प्रथम 10 जुलाई तक, द्वितीय 10 सितम्बर तक, तृतीय 10 नवम्बर तक एवं चतुर्थ 10 जनवरी तक जमा कराएं, इन तिथियों के पश्चात 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से फाईन देय रहेगा। जो पालक प्रतिमाह शुल्क जमा करवाते है, वे प्रतिमाह 10 तारीख तक आवश्यक रुप से शुल्क जमा करवा दें, अन्यथा 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें भी फाईन देय रहेगा।
- प्रतिमाह दिनांक 10 तक शुल्क अनिवार्य रुप से जमा करवाएं। जमा शुल्क वापसी योग्य नहीं है।
- कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं एवं 12वीं की वार्षिक परीक्षा का शुल्क एवं कक्षा 9वीं का नामांकन शुल्क बोर्ड द्वारा तय होने पर उसी समय देय रहेगा। यह शुल्क दिये गये शुल्क विवरण में सम्मिलित नहीं है।
- शुल्क प्रातः 9 से 4 बजे तक शुल्क कार्यालय में जमा कर रसीद अवश्य प्राप्त करें, बिना रसीद लिए किसी को भी शुल्क राशि न देवें। विवाद होने पर विद्यालय उत्तरदायी नहीं रहेगा।
- यदि आपके द्वारा शुल्क का भुगतान चेक द्वारा किया गया है तो अनादरित होने पर बैंक नियमानुसार फाइन आवश्यक होगा। जिसे बैंक को चुकाया जाएगा तथा दोबारा चैक नहीं लिया जाएगा।
- शुल्क का भुगतान आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं।

OUR DREAMERS, OUR PRIDE

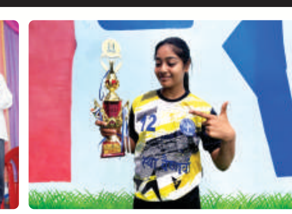

Front Inside

Back Inside

Size: 8.5(w) x 11(h) Inch